माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : मा.शि.बो./एसीए/2016/8070 दिनांक 14-3-16

संशोधित कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : पं. 3 (2) शिक्षा–6/2015 दिनांक 04.05.2015 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी समसंख्यक पत्रांक दिनांक 12.10.2015 एवं इसके क्रम में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के पत्रांक रा.मा.शि.पं./जय/V.E. GOR/2015–16/17512 दिनांक 04.12.15 द्वारा किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) तथा पॉलीटेकनिक कॉलेज से दो या दो से अधिक वर्षो में मान्यता प्राप्त कोर्सेज में प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित करने, संकाय तथा प्रभावी निर्धारण हेतु बोर्ड द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक : ए.सी.ए. /मा.शि.बो./2015/2979 दिनांक 03.06.2015 में आंशिक संशोधित व्यवस्था निम्नानुसार की जाती है :–

1. कक्षा–10 की समकक्षता हेतु –

(i) कक्षा– आठवीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल काउन्सिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् विद्यार्थी यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान/राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से कक्षा–10 के लिए निर्धारित कोर्स अनुसार अंग्रेजी व हिन्दी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 10 वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।

(ii) उपरोक्त दोनों विषय हिन्दी व अंग्रेजी की परीक्षा तथा आईटीआई की परीक्षा सम्मिलित रूप से उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही कक्षा–10वीं के समकक्ष उत्तीर्ण माना जाएगा। यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी जब हिन्दी व अंग्रेजी की परीक्षा एक ही वर्ष में तथा आईटीआई के उत्तीर्ण वर्ष के साथ अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की है।

(iii) आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् (NCVT) नेशनल काउन्सिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के दो या दो से अधिक वर्षो का मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण (आदेशों के पूर्व एवं पश्चात्) कर चुके विद्यार्थी दसवीं की समकक्षता, हिन्दी व अंग्रेजी की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेंगे।

(iv) उपर्युक्त वर्णित बिन्दु सं. (i) से (iii) द्वारा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को मा.शि.बो. राजस्थान, अजमेर की उच्च माध्यमिक स्तर की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन करने पर बोर्ड कार्यालय से सशुल्क पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर आवेदन पत्र में शामिल करना होगा।

2. कक्षा–12 की समकक्षता हेतु –

(i) कक्षा–दसवीं उत्तीर्ण होने के पश्चात् दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल काउन्सिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् विद्यार्थी यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान/राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से बारहवीं के लिये निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु बारहवीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जावेगा।

(ii) यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी जब अंग्रेजी व आईटीआई की परीक्षा के साथ एक ही वर्ष में उत्तीर्ण की हो अथवा अंग्रेजी की परीक्षा आईटीआई करने के पश्चात् उत्तीर्ण की हो।

(iii) दसवी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् नेशनल काउन्सिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) के दो या दो से अधिक वर्षों का मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण (आदेशों से पूर्व/पश्चात्) कर चुके विद्यार्थी बारहवीं की समकक्षता अंग्रेजी की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेंगे।

(iv) दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् तथा किसी मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्नीक कॉलेज से तीन वर्ष का ऑल इण्डिया काउन्सिल फोर टैक्नीकल एजूकेशन (AICTE) से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने पर उन्हें आगे शिक्षा में प्रवेश हेतु कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।

(v) उपरोक्त बिन्दु सं. (i) से (iv) में वर्णित परीक्षार्थियों को उच्च अध्ययन हेतु विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए बोर्ड कार्यालय से समकक्षता प्रमाण–पत्र सशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

3. संकाय निर्धारण :– बिन्दु संख्या 2 के सभी उप बिन्दुओं में वर्णित बारहवीं की समकक्षता प्राप्त करने पर विद्यार्थी को विज्ञान संकाय का विद्यार्थी माना जाएगा।

(मेघना चौधरी)
सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :– 8071–80

1. शासन सचिव, शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान।
2. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, जोधपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान।
5. सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर
6. अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. समस्त उप निदेशक (माध्यमिक) एवं जि.शि.अ. (माध्यमिक)।
8. समस्त अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
9. रक्षित पत्रावली।
10. बोर्ड की वेबसाइट www.rajeduboard.nic.in

सचिव

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,राजस्थान,अजमेर

क्रमांक : मा.शि.बो./सम्बद्धता/2016/13818-13847 दिनांक 27.8.16

कार्यालय आदेश

बोर्ड कार्यालय आदेश क्रमांक–एसीए/2016/8070 दिनांक 14.03.2016 के अन्तर्गत ITI व पोलेटेक्नीक परीक्षा अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण छात्रों को उनके द्वारा उच्च अध्ययन के लिये उच्च माध्यमिक परीक्षा की समकक्षता हेतु सशुल्क समकक्षता प्रमाण–पत्र प्रदान करने के सम्बन्ध में गठित कमेटी की अनुशंषा पर अध्यक्ष महो. के आदेश दिनांक 01.07.2016 के अनुसार समकक्षता प्रमाण पत्र प्रदान करने के स्थान पर प्रक्रिया की सरलता की दृष्टि से समकक्षता हेतु आवेदन करने पर आवेदकों को निःशुल्क सूचना उनसे प्राप्त आवेदन पर मुहर लगा कर कि इस सम्बन्ध में समस्त जानकारी बोर्ड वेब साइट पर उपलब्ध है, दी जावेगी। बोर्ड द्वारा अलग से इस हेतु समकक्षता प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

(मेघना चौधरी)
सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शासन सचिव, शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान।
2. निदेशक, तकनीकि शिक्षा, जोधपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजसथान, बीकानेर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान।
5. सचिव, राजस्थान ~~स्टेट ओपन~~ स्कूल, जयपुर
6. अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. समस्त उप निदेशक (माध्यमिक) एवं जि.शि.अ (माध्यमिक)।
8. समस्त अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
9. रक्षित पत्रावली।
10. बोर्ड की वेबसाइट www.rajeduboard.nic.in

(प्रिया भार्गव)
विशेषाधिकारी (सम्बद्धता)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,राजस्थान,अजमेर

क्रमांक : 43 /मा.शि.बो./सम्बद्धता/2024 दिनांक 30/4/24

नवीन संशोधित कार्यालय आदेश

बोर्ड कार्यालय द्वारा जारी किये गये संशोधित कार्यालय आदेश क्रमांकः– मा.शि.बो/एसीए/2016/8070 दिनांक 14.03.2016 मे क्रम संख्या 02 का बिन्दु संख्या (v) एवं आदेश क्रमांकः– मा.शि.बो./सम्बद्धता/2016/13838–13847 दिनांक 27.08.2016 को विलोपित करते हुए तीन वर्षीय पॉलिटेक्निक परीक्षा उत्तीर्ण/आई.टी.आई परीक्षा अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियो को उनके द्वारा उच्च अध्ययन करने के लिए उच्च माध्यमिक परीक्षा (विज्ञान वर्ग) के समान समकक्ष माने जाने हेतु मोहर लगवाने के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नही है, इस आशय की मोहर लगाकर देने की प्रक्रिया समाप्त की जाती है क्योंकि समकक्षता से सम्बन्धित समस्त जानकारी बोर्ड की वेबवाईट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है, जो वेबसाईट से प्राप्त की जा सकती है। **सभी जानकारियों की सुविधा ऑनलाईन होने के कारण बोर्ड द्वारा पृथक से कोई समकक्षता प्रमाण–पत्र जारी नही किया जाता है।**

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
सचिव

क्रमांक : 1858-76 /मा.शि.बो./सम्बद्धता/2024 दिनांक : 30/4/24

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
3. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, जोधपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान।
5. निदेशक, (शैक्षिक) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर।
6. उप निदेशक, (परीक्षा–प्रथम) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
7. ए.सी.पी./उप निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार प्रकोष्ठ (आई.टी.एण्ड.सी.सैल) बोर्ड की वेबसाइट पर अनुदेशिका के साथ जारी करने हेतु।
8. सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर।
9. अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
10. समस्त उप निदेशक (माध्यमिक) एवं जि.शि.अ (माध्यमिक)।
11. उप सचिव (सस्थापन) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।
12. उप निदेशक (गोपनीय) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर।
13. उप निदेशक (परीक्षा– II) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर की अनुदेशिका मे आवश्यक संशोधन कराये जाने हेतु।
14. सहायक निदेशक, (परीक्षा–II) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
15. अनुभाग अधिकारी, (परीक्षा–II) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
16. निजी सचिव, प्रशासक महोदय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
17. निजी सचिव, सचिव महोदय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
18. निजी सहायक, विशेषाधिकारी (सम्बद्धता) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
19. रक्षित पत्रावली।

30.04.2024
निदेशक (शैक्षिक)